

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 28/2025

दायर दिनांक:- 18.06.2025

पीठसीन अधिकारी:- विजयेश कुमार पण्ड्या, आर,ए,एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री निलेश जैन पुत्र श्री भंवरलाल, मैसर्स जैन टी स्टॉल, न्यू बस स्टेण्ड, प्रतापगढ़

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 15/07/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद मुल ही इत्यादि पेश की हैं। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र , फर्म के सम्बन्ध में वार्षिक रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने बाबत वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र पेश किये हैं। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.03.2025 को 2.00 पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जैन टी स्टॉल न्यू बस स्टेण्ड प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां पर मावे

की बर्फी 4 किलोग्राम लूज अवस्था में रखी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के मालिक का परिचय लिया गया व अपना परिचय दिया। विक्रेता ने अपना नाम निलेश जैन पुत्र श्री भंवरलाल होना बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो मौके पर विक्रेता के पास उपलब्ध था। मावा बर्फी पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बता दिया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सैम्पल लिया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त बर्फी में से 2 किलोग्राम बर्फी वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 400 रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त खरीद शुदा मावा बर्फी के पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ के कोड क्रमांक वाई 2411 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर, धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कौंस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई। जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्होंने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की। 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की तथा शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद

कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं० 6 की पुश्त पर है। शेष चौथा नमूना मय फार्म नं० 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अप्रेशण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालुम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया मावा बर्फी का नमूना sub standard पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया। फर्म के मालिक द्वारा लायसेंस छायाप्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री निलेश जैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित एवं जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/348 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बेचा जा रहा मावा बर्फी का नमूना जांच रिपोर्ट में sub standard होना पाया गया है। जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त के वहां दिनांक 03.03.2025 को उपलब्ध कुल माल 4 किलो की कुल कीमत 800 रु (प्रत्येक किलो की कीमत 200 रु) की पाँच गुना शास्ति अर्थात्  $4 \times 200 \times 5 = 4000 / -$  (अक्षरे चार हजार रु ) शास्ति अप्रार्थी अभियुक्त पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 15.07.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।


  
(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री निलेश जैन पुत्र श्री भंवरलाल, मैसर्स जैन टी स्टॉल, न्यू बस स्टेण्ड, प्रतापगढ़

  
(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़